चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 02.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त फूलचन्द्र वर्मा पुत्र नत्थूप्रसाद निवासी औदहा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को एक झोले में 16 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम –
1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा
2.आरक्षी अभिषेक गौर

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 03.08.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रिंकू सिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र रविकरन निवासी सिलौटा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 03.08.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 94/2016 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त पप्पू उर्फ नरेन्द्र पुत्र लल्लू उर्फ शिवभवन निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट जेल में बिताई गयी अवधि व 800/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश पाण्डेय के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह व उनकी टीम ने युवती के साथ के साथ दुष्कर्म करने तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना मऊ अन्तर्गत एक निवासिनी युवती द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि दिनांक 24.07.2026 को आरोपी मनीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती के माता पिता के उलहना देने पर मनीष के पिता बरमदीन व माता द्वारा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 धारा 64(1),352/351(3)बीएनएस, बनाम 1.मनीष 2.बरमदीन व मनीष की मां अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीडिता का बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस कराए गए। आज दिनाँक 03.08.2026 को निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मनीष उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह

2.आरक्षी विशाल यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय व उनकी टीम ने महिला को शादी की झांसा देते हुए घर में घुसकर दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना भरतकूप अन्तर्गत एक निवासिनी महिला द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी गयी कि वादिया के पति की मृत्यु होने के बाद गांव का ही आरोपी धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू ने दिनांक 02.03.2021 से 31.07.2026 तक शादी की झांसा देकर लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा तथा जान से मारने की धमकी दिया। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 धारा 64(1),333/351(3)बीएनएस, बनाम धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीडिता का बयान माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस कराए गए। आज दिनाँक 03.08.2026 को उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय

2.आरक्षी विवेक यादव

(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 03.08.2026

को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2020 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रावेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव निवासी अमिलिया थाना कोठी जनपद सतना को जेल में बिताई गई अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 03.08.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2020 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रजनीश वर्मा पुत्र सुखलाल निवासी अमिलिया थाना कोठी जनपद सतना को जेल में बिताई गई अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।